फाइल सं. ए 22017/02/2013 - प्रशा- 1(पार्ट ii)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

(प्रशासन-। अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 29 जनवरी, 2016.

परिपत्र

विषय- सहायक स्तर पर, केन्द्र सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सहायक स्तर पर, कार्य पर रखना|

सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरे समय के लिए सहायक स्तर पर परामर्शदाताओं के रुप में कार्य पर रखने हेतु पैनल तैयार करने का प्रस्ताव है|

2. भारत सरकार से सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले इच्छुक तथा पात्र अधिकारी, अपनी सेवा अनुभव संबंधी ब्यौरा/ धारित पद, अंतिम आहरित ग्रेड पे इत्यादि के साथ अपना बायो डाटा तथा संपर्क ब्यौरा (दूरभाष/ मोबाइल सं तथा ई मेल), उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 564 ए विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली को 15 फरवरी, 2016 को या उसके पहले भेजें| नियम व शर्तें तथा परिश्रामिक निम्न प्रकार है :-

I. पात्रता

i) सहायक या उसके ऊपर स्तर पर केन्द्र सरकार सेवा से सेवानिवृत्त हो|

ii) सरकार/मंत्रालय की कार्य पद्वति की ठीक जानकारी होनी चाहिए|

iii) प्रशासन (सामान्य प्रशासन), सतर्कता, कोर्ट केस तथा प्रापण मामलों को निपटाने का पर्यास अनुभव हो|

iv) कम्पूटर पर कार्य करने का ज्ञान हो|

v) आयु सीमा 65 वर्ष तक है|

II नियम व शर्तें

परामर्शदाता को कार्य पर रखने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं-

i) कार्य पर रखने की आरंभिक अवधि 06 माह की या जब तक कि नियमित अधिकारी उपलब्ध नहीं होता, जो भी पहले हो, तक होगी|

ii) कार्य पर रखने की अवधि में बढ़ोतरी, यदि कोई हो तो, करने का अधिकार, सक्षम प्राधिकारी के पास होगा|

iii) 1.30 अपराह्न से 2.00 अपराह्न के मध्य आधे घंटे के लंच ब्रेक सहित कार्य दिवस प्रातः 9.30 से सांय 6.00 तक का होगा| फिर भी, कार्य की अनिवार्यता को देखते हुए उन्हें देर

तक रोका जा सकता है तथा उन्हें शनिवार/रविवार/ तथा अन्य राजपत्रित छुट्टियों में भी बुलाया जा सकता है|

vi) सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए या बिना कोई नोटिस दिए किसी भी समय कार्य से हटाया जा सकता है|

v) आवश्यकता केवल नई दिल्ली स्थित मुख्यालय तथा संबद्ध कार्यालय में है|

III पारिश्रमिक

i) समेकित कन्सेलटेन्सी फीस, 20,000/- रुपए प्रति माह दिया जाएगा|

3) मंत्रालय/विभाग इस परिपत्र का अपने स्टाफ में व्यापक प्रचार करें तथा अपने संबद्ध कार्यालयों के नोटिस में भी लाएं|

जितेन्द्र

(जितेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशा.)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग|
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के समस्त अनुभाग/नोटिस बोर्ड|

प्रति:-

1. एनआईसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वैब साइट पर रिक्ति श्रेणी के अंतर्गत यह परिपत्र अपलोड करने हेतु|
2. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/विशेष महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/ अपर महानिदेशक के पीपीएस|